Website : www.prsuinv.ac.in E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1619 / 2021 दिनांक– 07/ 10 / 2021

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्दिष्ट अन्य विशिष्ट एवं सामान्य तथा अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 04.10.2021 के अनुपालन में अंकित महाविद्यालय को संबंधित पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात सत्र वर्ष 2021–22 हेतु अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि स्वीकृत जैसा कि तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित है, प्रदान की जाती है। इस पत्र में अंकित अनिवार्य शर्तों का सम्यक निष्ठापूर्वक अनुपालन करना भी महाविद्यालय का दायित्व होगा तथा अनिवार्य शर्तों में कोई छूट किसी भी महाविद्यालय को स्वीकृत नहीं की जायेगी।

क्र0सं	महाविद्यालय का नाम / पता	आवेदित पाठ्यक्रम / विषय का नाम
1.	पं0 गोपीनाथ मिश्र महाविद्यालय, रामपुर देवली, फूलपुर, प्रयागराज, उ0प्र0।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि (बायो ग्रुप–2 एवं गणित ग्रुप–2 कुल 4 सेक्शन) में अतिरिक्त सेक्शन निम्नलिखित कमियों के कारण **असंस्तुत** की जाती है। 1. निरीक्षण आख्या के अनुसार महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षण कक्ष नहीं है।
2.	द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय, मदारी, सिसवां, सोरांव, प्रयागराज, उ0प्र0।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि (बायो ग्रुप–2 एवं गणित ग्रुप–2 कुल 4 सेक्शन) में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु स्वीकृत की जाती है। महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के बचत खाते के बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति जो बैंक मैनेजर से प्रमाणित हो की प्रति, आवेदित पाठ्यक्रम में शिक्षकों के अनुमोदन पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं नियुक्ति पत्र की प्रति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर सत्र 2021–22 से सशर्त नियमित अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि का आदेश निर्गत किए जायेंगे।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार सीटें निर्धारित है (मानकानुसार अनुमन्य सीटों से अधिक प्रवेश कदापि नही किए जाये)

क्र0सं0	पाठ्यक्रम / विषय का नाम	प्रदत्त सीट
1	बी0एससी0	60 सीट प्रत्येक सेक्शन कुल 240 सीट (60 सीट x 04 सेक्सन)
2	बी0लिब्0	60 सीट प्रत्येक सेक्शन (60 सीट x 01 सेक्सन)

अनिवार्य शर्तें :

1. **यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांकः 30 अप्रैल, 2021 तथा विश्वविद्यालय के पत्र दिनांकः 13.08.2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।**
2. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों की उपलब्धता तथा निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता की जांच कराये जाने पर यदि महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता नही पायी जायेगी तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस के साथ विद्यार्थियों को

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

उपलब्ध प्रवेश/सीटों की रिक्तियों के अनुसार अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसा आदेश सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों तथा अन्य सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

3. संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
4. विश्वविद्यालय के निर्देर्शो का अनुपालन करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रत्याहरण कर सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को आकस्मिक निरीक्षण के लिए सदैव खुला रखना होगा तथा निरीक्षक/निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
5. संस्था सदैव अपने यहॉ राज्य सरकार/यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय तथा अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत् तरीके से पठन–पाठन नही हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नही करायेगा।
6. अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालयों के Mismanagement तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।
7. महाविद्यालय अपने यहॉ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा नई शिक्षा नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार करेंगे।
8. सभी महाविद्यालय अपने यहॉ लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का गठन यू0जी0सी0 के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
9. सभी महाविद्यालय अपनी **Website** का निर्माण कर उस पर महाविद्यालय की भूमि, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षकों के अनुमोदन पत्र व उनके नाम, स्थायी तथा स्थानीय पता सहित, विद्यार्थियों की कक्षावार सूची, महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम आदि सभी का विवरण इस पत्र के निर्गमन की तिथि से **01 माह में Website पर Upload करना** सुनिश्चित करेंगे।
10. महाविद्यालय में यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार निर्धारित शैक्षिक दिवसों की पढ़ाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करनी होगी, इसके लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्लासेज लगाकर उक्त की पूर्ति करना अनिवार्य है।
11. महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन शिक्षकों को देना होगा।
12. सम्बद्धता शर्तो के उल्लंघन पर सम्बद्धता प्रत्याहरण किया जायेगा।

(एस0 के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य।
4. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. कुलसचिव कार्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।
7. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुल सचिव।